

लोक सुनवाई का वृत्त।

नेसर्स सौम्या इंटरप्राइजेज, प्रो०-श्री देवराज कुमार, पिता-श्री गणेश यादव ग्राम-बरार टोला, पोस्ट-बराह, थाना-रानीतालाब, पटना द्वारा सोन-13 बालू घाट मौजा-बलरा, पोस्ट-नसरतपुर, अंचल-संदेश, जिला-भोजपुर के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत दिनांक 14.06.2023 को अपराह्न 03:00 बजे संदेश प्रखंड सभागार, संदेश, जिला-भोजपुर में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं०-एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2063/2022, dated 11.01.2023 के आलोक में श्री निरोज कुमार भगत, नगर आयुक्त, नगर निगम, आरा (जिला पदाधिकारी, भोजपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 14.06.2023 को अपराह्न 03:00 बजे संदेश प्रखंड सभागार, संदेश, जिला-भोजपुर में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 11.05.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉर्पोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा। वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू-जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (710 नं०) का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं

जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/संशोधन निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री रंजन कुमार, ग्राम-नानसागर, जिला-भोजपुर।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि सड़क पर पानी का छिड़काव किया जाय। बालू से लदा गाड़ी तिरपाल से ढककर ले जाया जाये। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा।
2.	श्री रवि कुमार सिंह, ग्राम-नानसागर, जिला-भोजपुर	इनके द्वारा बताया गया कि संवेदक से 2% राशि विभाग लेता है। वर्तमान में विभाग के द्वारा सुविधा के रूप में कहाँ उपयोग होता है; धरातल पर दिखाई नहीं देता है। खनिज विकास पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा बताया गया कि खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में संचित राशि से इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय-जल इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान है। खनन परियोजना के कुल लागत का 2% राशि इसमें संचित होता है। मिशन कायाकल्प के तहत खनन प्रभावित क्षेत्र का विकास किया जाता है। इस क्षेत्र के प्रभावित आम जनता भी अपना मांग रख सकती है, इस राशि से उसको पूरा करने का अनुशंसा किया जायेगा।
3.	श्री हरेन्द्र कुमार सिंह, ग्राम-नानसागर, जिला-भोजपुर।	इनके द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना में युवा को रोजगार चाहिए। कम्पनी द्वारा अपना ही Team को ही Staff में रखा जाता है। स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोग को रोजगार प्रदान किया जायेगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन भी होगा। क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

4.	श्री हरिवंश कुमार सिंह, ग्राम-नसरतपुर, जिला-भोजपुर।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू खनन परियोजना में हर पंचायत में मेडिकल व्यवस्था होनी चाहिए। फर्स्ट एंड बॉक्स, एम्बुलेंस एवं मेडिकल ऑफीसर की व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाय।
5.	श्री बीरेन्द्र कुमार यादव, ग्राम-नसरत, जिला-भोजपुर।	इनके द्वारा बताया गया कि वाटर लेवल नीचे चला गया है। सड़क पर जमे धूल को हटाने का व्यवस्था किया जाय। पानी का बहुत अभाव हो जाता है। पानी का छिड़काव किया जाय। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि खनन 3मी0 गहराई तक करने से जल-स्तर नीचे नहीं जायेगा। पानी का छिड़काव समय-समय पर किया जायेगा। खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा संवेदक को निदेश दिया गया कि अपने घाट के सामने सड़क पर गिरे बालू का हटाएँ एवं ओवर लोडिंग नहीं करेंगे।

खनिज विकास पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा बताया गया कि खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में संचित राशि से इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय-जल इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान है। खनन परियोजना के कुल लागत का 2% राशि इसमें संचित होता है। मिशन कायाकल्प के तहत खनन प्रभावित क्षेत्र का विकास किया जाता है। इस क्षेत्र के प्रभावित आम जनता भी अपना मांग रख सकती है, इस राशि से उसको पूरा करने का अनुशासन किया जायेगा। ट्रेफिक जाम नहीं लगे इसके लिए ग्रामीणों से भी अनुशासन अपेक्षित है।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ले जायेंगे। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

उन्होंने अधिक पेड़ लगाने का सुझाव दिये। पौधों का रख-रखाव स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा ही सुनिश्चित कराया जाय। स्थानीय लोग को रोजगार में प्राथमिकता दी जाय। जिला प्रशासन के साथ-साथ गाँव के लोग भी अनुपालन सुनिश्चित करायें।

जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।










17/6-23
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्वद, पटना

17/6
नगर आयुक्त, नगर निगम
आरा

उपस्थिति सूची

मेसर्स सौम्या इंटरप्राइजेज, प्रो०-श्री देवराज कुमार द्वारा सोन-13 बालू घाट, मौजा-बलरा, पोस्ट-नसरतपुर, अंचल-संदेश, जिला-भोजपुर में आयोजित लोक-सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

स्थान-संदेश प्रखण्ड सभागार, संदेश दिनांक 14.06.2023 समय-03:00 P.M

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	निरोग सुभाष	नारायणपुर - कारा नारायणपुर	 14/6
2.	आशीष कुमार पुष्पा	रानीप-पदाधिकारी, ब्लॉक प्रतिपद, पटना	 14-6-23
3.	अशोक कुमार	बलरा विधान सभा क्षेत्र पटना	 14/6/23
4.	नीतीश कुमार	P&M Solution, Raja Bazar, Patna	Nitesh Kumar
5.	देवराज कुमार	बलरा बालू घाट रानीप-पदाधिकारी, ब्लॉक	 14.06.2023
6.	सुमित कुमार	चिरमोह सड़क	
7.	अशोक कुमार	बलरा बालू घाट रानीप-पदाधिकारी, ब्लॉक	Sanjay Kumar
8.	अशोक कुमार	Indus mining Consultant Patna.	Ashok Kumar
9.	अशोक कुमार	बलरा बालू घाट	
10.	Rajm Kumar	Alamsegar post Alakh	
11.	Ravi kumar Singh	Nausagar Dist Bhogpur	
12.	Harevansh Kumar Singh	Marsapur Dist Bhogaon	

13.	Vandana Kumari Singh	Nandaga-6	H...
14.	U. S. Singh / K. D. Singh	MANGALGARH	U. S. Singh
15.	Harjit	Nandaga-6	Harjit
16.	Vijay	Nandaga-6	Vijay
17.
18.
19.
20.
21.
22.	Nand
23.
24.
25.
26.
27.	Pinku Singh	Bachari	Pinku Singh